

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय,
कार्मिक विभाग
प्रयागराज-211015
दिनांक 27.10.2020

सं. 797-ई/एनसीआर/एचआरएमएस/2019

PFA/NCR/PRYJ Dy. CPO/CMLR/WS/ JHS
PCSC/NCR/PRYJ Dy. CMM/GSD/JHS
CAO/C/NCR/PRYJ XEN/CSP/PRYJ
DRM/ PRYJ, JHS, AGC Principal/CETA/CNB
CWM/WS/ JHS, STLI Dy. CE/TMC/L/JHS
CWM/CPOH/PRYJ

विषय: Implementation of Office Order Module of HRMS over NCR.

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. PC-VII/2020/HRMS/23 दिनांक 21.10.2020


रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21.10.2020 द्वारा HRMS के ऑफिस ऑर्डर व एपीएआर मॉड्यूल हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त के आलोक में सर्वसंबंधित को अवगत कराया जाता है कि आपके कार्यालय से संबंधित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का पदोन्नति/स्थानान्तरण/पोस्टिंग/एमएससीपी/नियुक्ति/ट्रेनिंग /सेवानिवृति इत्यादि का ऑफिस ऑर्डर संदर्भित पत्र में दी गई Guidelines अनुसार HRMS के माध्यम से जारी किये जाय।

उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराया जाता है कि दिनांक 31.03.2021 के बाद सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ऑफिस ऑर्डर HRMS के माध्यम से ही जारी किया जाना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त में अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपरोक्त Guidelines उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर देखी जाय।

<https://ncr.indianrailways.gov.in/> -About us -Departments – Personnel -HRMS


27. X. 2020

(अवधेश कुमार)
मुख्य कार्मिक अधिकारी/आई.आर